



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

सुशील बी. पखिड़े
Sushil B. Pakhide
सहायक कुलसचिव (स्था. एवं प्रशा.)
Assistant Registrar (Estt. & Admn.)

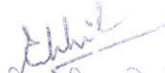
दूरभाष/Phone : +91-7152-255707
फैक्स/Fax : +91-7152-230902

पत्रांक : 006/स्था./7/60 /2017/म.ग.अ.हि.वि.
दिनांक : 14/09/2017

कार्यालयादेश

डॉ. शोभा पालीवाल, अकादमिक संयोजक/एसोशिएट प्रोफेसर को
SPOC (Specific Point of Contact) नामित किया जाता है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(सुशील बी. पखिड़े)

प्रति-

डॉ. शोभा पालीवाल
अकादमिक संयोजक/एसोशिएट प्रोफेसर
अकादमिक विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
वर्धा-442001

प्रतिलिपि-

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र
4. कुलसचिव कार्यालय
5. वित्ताधिकारी कार्यालय
6. जनसंपर्क अधिकारी
7. संयोजक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
8. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. कार्यालय प्रति
10. गार्ड फाइल